



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 322 राँची, सोमवार,

5 जून, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 जून, 2023

संचिका संख्या-2/राजस्व सेवा (खण्ड-I) -77/12-1945-रा०-- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधीन राजस्व सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2018-सह- यथा संशोधित झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली (संशोधन), 2021 में संशोधन करते हुए संशोधन नियमावली निम्नवत गठित करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1.) संक्षिप्त नाम-यह नियमावली "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जायेगी।

(2.) विस्तार - इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3.) प्रारंभ - यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली, 2018-सह-यथासंशोधित झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 नियम 6.4(i) के अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नांकित प्रावधान है :-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त इन्टरमिडियट बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इन्टरमिडियट (10+2) की योग्यता रखना अनिवार्य होगा।"

3. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली, 2018-सह- यथा संशोधित झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 नियम 7.5(i) अन्तर्गत अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नांकित प्रावधान है:-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परन्तु यह कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी। " को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

" न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- U.G.C. से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।"

4. "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन), 2021" को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं अधिसूचना की शेष नियम यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,

सरकार के सचिव
